अप्रचलित 76 कानूनों को रद्द करने वाला बिल पास

नई दिल्ली, एजेंसी। संसद ने 76 अप्रचलित कानूनों को निरस्त करने के प्रावधान वाले विधेयक को बुधवार को मंजूरी दे दी। सरकार ने कहा कि यह कदम जीवन और व्यापार की सुगमता की दिशा में किए जा रहे निरंतर प्रयासों का हिस्सा है। राज्यसभा ने निरसन और संशोधन विधेयक, 2023 को ध्वनिमत से मंजूरी दे दी। लोकसभा ने इस साल 27 जुलाई को इस विधेयक को मंजूरी दी थी। सरकार ने पिछले साल दिसंबर में 65 पुराने कानूनों को खत्म करने के लिए निरसन और संशोधन विधेयक पेश किया था। लेकिन यह विधेयक विभिन्न सत्रों में चर्चा के लिए नहीं आ सका। सरकार ने बाद में सूची में 11 और कानूनों को जोड़ने के लिए संशोधन पेश किया, जिससे ऐसे कानूनों की कुल संख्या 76 हो गई।

केंद्रीय विश्वविद्यालय बिल राज्यसभा से पारित

नई दिल्ली, वि . सं .। राज्यसभा ने बुधवार को केंद्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) बिल 2023 को पारित कर दिया। इसके तहत तेलंगाना में एक केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना करने का प्रावधान है। इस विशिवविद्यालय को मुख्य रूप से भारत की आदिवासी आबादी के लिए उच्च शिक्षा और अनुसंधान सुविधाएं प्रदान करने के लिए बनाया जाएगा।